

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) शिक्षा विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक संनि/स्कू. शिक्षा/जय/सामा-1 /फा-न्यून परीक्षा परि./2019-जयपुर/2020/18 दिनांक 13.01.2021 के द्वारा क्र.सं. 01 पर अंकित कार्मिक के विरुद्ध विचाराधीन राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 17 की कार्यवाही समाप्त (DROP) किये जाने के फलस्वरूप एवं राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भौतिक विज्ञान (शिड्यूल II) के पद पर आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-ओए/डीपीसी/भौतिक (शिड्यूल II)/2020-21 दिनांक- 03.02.2021 एवं आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-ओए/6001/चयन/2020-21 दिनांक - 21.01.2021 के द्वारा जारी डीपीसी वर्ष 2020-21 की रिक्ति के प्रति चयन किये जाने समबंधी शिल्डकवर रखे गये निर्णय की अनुपालना में चयनित कार्मिक प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भौतिक विज्ञान के पद पर वेतन लेवल-12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी /प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल dir.dse@rajasthan.gov.in पर तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थना पत्र दिनांक 24/03/21 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक 24/03/21 परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) तक आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेंगे। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक-25/03/21 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लें कि जिस वरिष्ठता अवधि के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अवधि के पश्चात उस कार्मिक की अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वस्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	वर्ग	चयन तिथि	नवीन पदस्थापन स्थान	जिला
1.	5827	2012-13	श्रीमती माया राठौड़ वअ0 गणित रामावि, ब्रह्मपुरी (जयपुर)	11.04.1984	सामान्य	01.04.2020	GSSS BEMLA (223285), KURABAD (08261701603)	UDAIPUR
2.	6309	2012-13	श्रीमती गायत्री चौधरी वअ0 रामावि सांवलता खुर्द (पाली)	10.11.1979	सामान्य	01.04.2020	GSSS RAMA (221084), AAHOR (08180106202)	JALOR

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक-15/03/21

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगक/भौतिक/ डीपीसी/पदस्थापन/2020-21/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....
6. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक)/प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होंगे।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
8. संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/संस्थापन ए.बी

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)